न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 26/2025 दायर दिनॉक 15.01.2025

वादी		प्रतिवादीगण
1. जकिर हुसैन पुत्र हमीद खान जाति शैरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।	बनाम्	1. जहुर मोहम्मद पुत्र हमीद खां 2. दीन मोहम्मद पुत्र हमीद खां 3. हमीद खां पुत्र सदीक खां 4. मदरसा जयाउल इस्लाम नजमया डूंगरी सदर (हमीद खां) 5. शौकत अली पुत्र ईजाज खां समस्त जाति शैरानी निवासीगण शेरानी आबाद तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान। 6. यूको बैंक शाखा शैरानी आबाद 7. तहसीलदार छोटीखाटू

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, रिकॉर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53,88,188 R.T.Act. , 136 L.R.Act

उपस्थितः–

1. श्री मो. शरीफ शेरानी वकील वादी।
2. श्री मो. रफीक वकील प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 15.01.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद किशनपुरा पटवार हल्का खाटूखुर्द के खेत खसरा संख्या 102 रकबा 1.8000 है., खसरा संख्या 103 रकबा 0.1600 है., खसरा संख्या 104 रकबा 0.0200 है., खसरा संख्या 105 रकबा 0.8000 है., खसरा संख्या 110 रकबा 0.7100 है. खसरा संख्या 18 रकबा 0.3000 है., खसरा संख्या 100 रकबा 0.0500 है., खसरा संख्या 101 रकबा 2.4400 है., खसरा संख्या 106 रकबा 0.2000 है., खसरा संख्या 107 रकबा 0.1600 है., खसरा संख्या 99 रकबा 0.0700 है., भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनॉक **04.08.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांकः भू.अ./2025/1794 दिनॉक 06.11.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसील[illegible] द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्ताव[illegible] करवाने हेतु सहमत है। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम [illegible]कारी है। अतः तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव [illegible] भू.अ./2025/1794 दि[illegible] 06.11.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:12:06 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

–:: आदेश ::–

सरहद किशनपुरा पटवार हल्का खाटूखुर्द के खेत खसरा संख्या 102 रकबा 1.8000 है., खसरा संख्या 103 रकबा 0.1600 है., खसरा संख्या 104 रकबा 0.0200 है., खसरा संख्या 105 रकबा 0.8000 है., खसरा संख्या 110 रकबा 0.7100 है. खसरा संख्या 18 रकबा 0.3000 है., खसरा संख्या 100 रकबा 0.0500 है., खसरा संख्या 101 रकबा 2.4400 है., खसरा संख्या 106 रकबा 0.2000 है., खसरा संख्या 107 रकबा 0.1600 है., खसरा संख्या 99 रकबा 0.0700 है., भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1794 दिनाँक 06.11.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1794 दिनॉक 06.11.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **15.01.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:12:06 IST
Reason: SelfAttested